राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964

(1965 का अधिनियम संख्या 2)

अप्राधिकृत अधिभोगियों को सरकारी स्थानों से बेदखल करने तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल यह अधिनियम बनाता है।

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ**–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1964 हैं।

(2) इसका प्रसार सम्पर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषायें**–जब तक संदर्भ अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''सम्पदा–अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकारी स्थान'' से ऐसा कोई भी स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो, या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहित किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसे कोई भी स्थान आते हैं जो निम्नलिखित निकायों के स्वामित्वाधीन हो–

i. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) के अधीन स्थापित या स्थापित समझे गये किसी नगरपालिका बोर्ड के या नगरपरिषद् के; या
ii. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सं. 35) के अधीन स्थापित किसी भी सुधार न्यास के; या
iii. राजस्थान राज्य औद्योगिक एंव खनिज विकास निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनिधान निगम लिमिटेड के, जो कि इनमें से किसी के द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में संनिर्मित किये गये हों; या
iv. राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) के अधीन स्थापित किसी पंचायत के; (अब पंचायत अधिनियम 1994 हो गया) या
v. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अधीन स्थापित किसी पंचायत समिति के या जिला परिषद् के; (अब पंचायत नियम, 1996 हो गया) या
vi. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी के; या

vii. राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के, या वे स्थान जो उनके द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित हों, या

viii. वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम 29) में यथा परिभाषित वक्फ के और उस अधिनियम के धारा 26 के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में प्रविष्ट किसी; या

ix. राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन स्थापित किसी मंडी समिति के, या

x. किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राजस्थान अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमित निकाय के; या

xi. दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 36) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर, या

xii. नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की देवमूर्ति, या

xiii. नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) के उपबंधों के अनुसार प्रशास्ति श्री सांवलियाजी, मण्डफिया (जिला चित्तौडगढ़) की देव मूर्ति; या

xiv. श्री सांवलियाजी मंदिर अधिनियम, 1992 (राजस्थान का अधिनियम संख्या 8 सन 1992) के उपबंधों के अनुसार प्रशासित श्री सांवलियाजी, मण्डफिया(जिला चित्तौडगढ़) की देवमूर्ति।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जात है कि इस अधिनियम के उपबल्ध किसी वक्फ की किसी भी ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी सम्पत्ति के रूप में, वक्फ अधिनियम 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 56 के अधीन रखें गये वक्फ रजिस्टर में प्रविष्ट हों और धारा 36–क के उपबंधों के उपल्लंघन में, वक्फ बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अंतरित कर दी गई हो तथा उस अधिनियम की धारा–36 ख के उपबंधों का ऐसी सम्पत्ति का कब्जा वापस लेने के लिए लागू रहना चालू रहेगा;''।

(ग) ''स्थान'' से कोई भूमि या भवन का कोई भी भाग अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नालिखित भी आते हैं।

i. उद्यान, जमीन और उप–गृह, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भवन के भाग में अनुलग्न हो; और

ii. ऐसे भवन या भवन के भाग में लगी हुई कोई भी फिटिंग जो उसके अधिक प्रसुविधायुक्त उपभोग के लिए हों।

(घ) ''किराया'' से किसी सरकारी स्थान के संबंध में, स्थान के प्राधिकृत अभियोग के लिए, नियतकालिक रूप से देय प्रतिफल अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं––

iii. स्थान के अधिभोग के संबंध में विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा के लिए कोई भी प्रभार,

iv. स्थान के बाबत में देय कोई भी कर (जो चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो),

(ड) ''अभिप्रेत अभिभोग'' से, किसी भी सरकारी स्थान के संबंध में, किसी भी व्यक्ति द्वारा, सरकारी स्थान का ऐसा अधिभोग अभिप्रेत है जिसके लिए कोई प्राधिकारी नहीं हो और जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी स्थान में उस प्राधिकारी (चाहे वह अनुदान के रूप में या अन्तरण की किसी भी अन्य रीति से दिया गया हो) जिसके अधीन उसे स्थान के अधिभोग के लिए अनुमति दी गई थी, के समाप्त हो जाने या किसी भी कारण से उसका पर्यवसान कर दिये जाने के पश्चात् अधिभोग में रखे रहना भी आता है।

3. **संपदा अधिकारियों की नियुक्ति –** राज्य सरकार, राज –पत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों, या धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नगरपालिका, बोर्ड या परिषद या सुधार न्यास के, समतुल्य रैंक के अधिकारी हों, जिन्हें व इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी होने के लिए ठीक समझे; और

(ख) वे स्थानीय सीमायें जिनके भीतर, अथवा सरकारी स्थान के वे प्रवर्ग जिनके बारे में, सम्पदा अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, परिनिश्चित कर सकेगी।

4. **बेदखली के आदेश के विरूद्ध कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाना–**(1) यदि सम्पदा अधिकारी की यह राय हो कि कोई भी सरकारी स्थान किन्हीं व्यक्तियों अप्राधिकृत अभिभोग में है और यह कि उनकों बेदखल किया जाना चाहिए तो सम्पदा अधिकारी इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें समस्त संबंधित व्यक्तियों को इसके लिए कारण बतलाने के लिए कहा जायेगा कि (उनके विरूद्ध) बेदखली का आदेश क्यों नहीं जारी कर दिया जाये।

(2) नोटिस में––

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर बेदखली का आदेश किया जाना प्रस्थापित किया गया है;

(ख) समस्त संबंधित व्यक्तियों से अर्थात् ऐसे समस्त व्यक्यिों से जिनके अधिभोग से सरकारी स्थान हों अथवा जो उनमें हित का दावा करते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण बतलाने के लिए यदि कोई हों, अपेक्षा की जायेगी और ऐसी तारीख नोटिस जारी किये जाने की तारीख से 10 दिन से पहले नहीं होगी।

(3) सम्पदा अधिकारी की तामील उसे सरकारी स्थान के बाहर के दरवाजे पर या उसके किसी अन्य सहज–दृश्य भाग पर चिपका कर, और ऐसी अन्य रीति से करवायेगा जो

विहित की जाये, जिसके उपरान्त नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को सम्यक् रूप से दिया गया समझा जायेगा।

(4) जहाँ सम्पदा अधिकारी यह जानता है कि उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि किन्हीं व्यक्तियों के अधिभोग में सरकारी स्थान है तो उप–धारा(3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर, नोटिस की प्रति उसके पास डाक द्वारा भेजकर या उसे प्ररिदत्त करके या देकर अथवा ऐसी अन्य रीति से तामील करवायेगा जो विहित की जाये।

5. **अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली–**(1) यदि धारा (4) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, और उसके समर्थन में, जो कोई साक्ष्य वह पेश करे, उस पर विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सम्पदा अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी स्थान अप्राधिकृत अभिभोग में है तो वह अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख, को, उन कारणों से जिन्हें आदेश में अभिलिखित किया जायेगा, बेदखली का आदेश दे सकेगा, जिसमें यह निर्देश दिया जायेगा कि सरकारी स्थान उन समस्त व्यक्तियों द्वारा खाली कर दिया जाये जो उस पर या उसके किसी भाग में अभियोग रखे हुए हों, और आदेश की एक प्रति सरकारी स्थान के बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी नये सहज–दृश्य पर भाग चिपकवायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, बेदखली के आदेश का उप–धारा (1) अधीन उसके प्रकाशित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अनुपालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो सम्पदा अधिकारी या इस निमित्त सम्पदा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को सरकारी स्थान से बेदखली कर सकेगा और उसको कब्जे में ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

6. **अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा सरकारी स्थान में छोड़ी गई सम्पत्ति का व्ययन–**(1) जहां धारा 5 के अधीन किसी सरकारी स्थान से किन्हीं व्यक्तियों को बेदखलकर दिया गया है तो सम्पदा अधिकारी उन व्यक्तियों को जिनसे सरकारी स्थान का कब्जा लिया जाता है, चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उक्त नोटिस को परिक्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार –पत्र में प्रकाशित कराने के पश्चात् ऐसे स्थान पर रही हुई किसी भी सम्पत्ति को हटा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसका व्ययन कर सकेगा।

(2) जहाँ किसी सम्पत्ति का उप–धारा(1) के अधीन विक्रय किया जाये, तो विक्रय–आगमी, बिक्री होने वाले व्यय और उस रकम, यदि कोई हो, जो किराये की बकाया या नुकसानी या खर्चे के कारण राज्य सरकार को देय हो, कटौती के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त की जायेगी जो सम्पदा अधिकारी को उसके पाने के हकदार प्रतीत होते हों;परन्तु जहाँ सम्पदा अधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में

जिन्हें उक्त राशि को शेष रकम देय या उसके प्रभाजन के बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर न्यायालय का विनिश्चत अंतिम होगा।

7. **सरकारी स्थान के बारे में किराया या नुकसानी की वसूली भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति**–(1) जहाँ किसी व्यक्ति से किसी सरकारी स्थान के बारे में देय किराये की राशि बकाया हो तो सम्पदा अधिकारी, आदेश द्वारा उप व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी किश्तों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, उसे संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान में अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए है या जिसने किसी भी समय अप्राधिकृत में रखा है, तो सम्पदा अधिकारी नुकसानी निर्धारित करने के ऐसे सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए जो विहित किये जाये, ऐसे स्थान के उस व्यक्ति द्वारा किये गये उपभोग तथा रखे हुए अधिभोग के कारण हुआ नुकसान निर्धारित कर सकेगा और आदेश द्वारा उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किश्तों में, जो आदेश में विर्निदिष्ट की जायें, पुकसान संदाय करने की अपेक्षा की सकेगा।

(3) उप–धारा (1) या उप–धारा(2) के अधीन कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के विरूद्ध तक तक नहीं दिया जायेगा जब तक उस व्यक्ति के नाम ऐसे लिखित नोटिस जारी न कर दिया जाय जिसमें उसे ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने के लिए कहा जाय कि उसके विरूद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये, और जब तक उसने आक्षेपों पर यदि कोइ हों और उसके समर्थन में, जो साक्ष्य व प्रस्तुत करें, उस पर सम्पदा अधिकारी द्वारा विचार न कर लिया गया हो;

8. **सम्पदा अधिकारियों की शक्ति**–सम्पदा अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के बारे में किसी वाद पर विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

9. **अपील**–(1) धारा 5 या 7 के अधीन किसी सरकारी स्थान के बारे में सम्पदा अधिकारी द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश की अपील किसी ऐसे अपील अधिकारी को, जो उस जिले का जिला न्यायाधीश हो कि जिसमें सरकारी स्थान स्थित है या कम से कम दस वर्ष की अवस्थिति वाले उस जिले में के ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी को होगी जिला न्यायाधीश इस निमित्त पदाविहित करे;

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर की जायेगी–

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध की जाने वाली किसी निम्नलिखित अवधि के विरूद्ध की जाने वाली किसी अपील की दशा में, उक्त धारा की उप–धारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर; और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध की जाने वाली किसी अपील की दशा में अपीलार्थी को आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर;

परन्तु यदि अपील अधिकारी का समाधान हो जाय कि अपीलार्थी समय पर अपील पर्याप्त कारणो से प्रस्तुत नहीं कर सका तो वह 15 दिन की उक्त कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(3) यदि समपदा–अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील की गई है तो अपील अधिकारी उक्त आदेश के प्रवर्तन को ऐसे शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे, रोक सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील, अपील कालवधि के लिए तथा अधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ निपटाई जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील का खर्चा किस पर डाला जाय यह अपील अधिकारी स्वविकेकानुसार तय करेगा।

10. **आदेश की अन्तिमता**––इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन संपदा–अधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन–पत्र या निष्पादित कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

10–क. अधिकारिता का वर्जन–किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसी किसी व्यक्ति को बेदखली के बारे में जो किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत रूप से अधिभोग कर रहा है अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये की बकाया रकम की वसूली अथवा उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसान अथवा धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन राज्य सरकार को दिलवाये गये खर्चों अथवा ऐसे किराये, नुकसान अथवा खर्चों के किसी भाग के बारे में कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

11. **अपराध और शास्ति**–(1) यदि कोई व्यति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान में बेदखल किया गया है, अधिभोग के प्राधिकार के बिना उस स्थान में पुनः ऐसा अधिभोग करता है तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराने वाला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को संक्षेपतः बेदखल करने का आदेश दे सकेगा और उसके ऐसी बेदखली के दायित्वाधीन होने से इस अधिनियम के अधीन उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. **जानकारी प्राप्त करने की शक्तियाँ**–यदि सम्पदा अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान पर अप्राधिकृत रूप से अधिभोग किये हुए है तो संपदा–अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उन व्यक्तियों से या किसी अन्य व्यक्ति से सरकारी स्थान पर अधिभोग हुए व्यक्तियों के नाम और अन्य विशिष्टयों के संबंध में सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना देने के लिए आबद्ध होगा कि जो उसकी जानकारी में हो।

13. **वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व**–(1) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध किराये की बकाया के रकम के अवधारण या नुकसान के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही की जानी है या की जा चुकी है, कार्यवाही किये जाने से पूर्व या कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान मर जाता है तो कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिस या विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध, यथास्थिति, की जा सकेगी या चालू की जा सकेगी।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय कोई रकम, जो चाहे किराये की बकाया या नुकसान या खर्चे के रूप में हो, उक्त व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय होगी, किन्तु उनका उक्त मृत व्यक्ति की उन आस्तिओं के परिणाम तक सीमित होगा, जो उन्हें प्राप्त हुई हो।

14. **भू–राजस्व की बकाया रकम के रूप में किराया इत्यादि की वसूली**–यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उप–धारा (1) की अधीन देय किराये की रकम या उस धारा की उप–धारा (2) के अधीन देय नुकसान या धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन राज्य सरकार को दिलवाये गये खर्चे, अथवा ऐसे किराये, नुकसान या खर्चे के किसी भाग का संदाय समय के भीतर, यदि तत्संबंधी आदेश में कोई समय उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो, करने से इन्कार करे या असफल रहे तो संपदा–अधिकारी देय रकम के संबंध में कलक्टर के नाम एक प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगा जो उसे भू–राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

15. **सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हें नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में राज्य सरकार या अपील अधिकारी या संपदा–अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

16. **शक्तियों का प्रत्यायोजन**–राज्य सरकार, राजपत्र से अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जो उक्त अधिूसचना में विनिर्दिष्ट की जाये के अध्यधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

17. **नियम बनाने की शक्तियाँ**–(1) राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्

(क) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्रारूप तथा रीति जिससे उसकी तामील की जा सके;

(ख) इस अधिनियम की जाँच करना;

(ग) सम्पदा अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण तथा आवंटन और किसी सम्पदा अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही का दूसरे सम्पदा अधिकारी को अन्तरण;

(घ) प्रक्रिया जिसका सरकारी स्थान का कब्जा लेने में अनुसरण किया जाय;

(ड.) रीति, जिससे अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी का निर्धारण किया जा सके और वे सिद्धान्त जिनकों ऐसी नुकसानी का निर्धारण करने में ध्यान रखा जाय;

(च) रीति जिससे अपीलें की जा सके और प्रक्रिया जिसका अपीलों के संबंध में अनुसरण किया जाय; और

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना हो या विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष चौदह दिन के कालावधि के लिए उस समय रखा जायेगा जब वह सत्र में हो। यह अविध एक सत्र में दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिससे वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान पूर्व राज्य विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने का विनिश्चय करे तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप से प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा विनिश्चिय करें कि व नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा; किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात का विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

18. **निरसित**– राजस्थान परिसर (अधिग्रहण तथा बेदखली) अध्यादेश, 1949 का अध्यादेश संख्या–11) में,––

(क) धारा 11 विलोपित की जायेगी, तथा

(ख) धारा 13 की उप–धारा (2) के–

(i) खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''या धारा 11 की उप–धारा (2) के अधीन अपीलों में'', और

(ii) खण्ड (घ) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''या धारा 11 की उप–धारा (5) में यथा परिभाषित सरकारी परिसर'' विलोपित किये जायेंगे।

———————